न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 29 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 128

लक्ष्य गहलोत पुत्र उमाशंकर गहलोत निवासी कोयला गली, वार्ड नं. 52 बीकानेर।

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावला

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा 30 दिवस की अवधि बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार रावला के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 681 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गयी हैं। तहसीलदार रावला के द्वारा प्रतिवेदन के साथ अपने पत्रांक / रीडर / 2024 / 323 दिनांक 02.07.2024 की छायाप्रति प्रेषित की गयी हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रावला को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 25.05.2024 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार रावला के द्वारा दिनांक 02.07.2024 को अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी हैं। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी हैं। उक्त अवधि के दौरान दिनांक 27.06.2024 को अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावला द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, अपील पत्र पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं और तहसीलदार रावला को निर्देशित किया जाता हैं भविष्य में निश्चित समयावधि में सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़